संख्याः 29 /यूपीनेडा–एसईपीवी–एसएसएल–अनुरक्षण–रखरखाव/2023–24
उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
दिनांकः 02 अप्रैल, 2024

कार्यालय ज्ञाप

अभिकरण में विभिन्न सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना/ कमीशनिंग का कार्य 05 वर्षों के काम्प्रीहेन्सिव वारण्टी सहित फर्मों द्वारा कराया जाता है। स्थापित संयत्रों की वारण्टी अवधि में संतोषजनक कियाशीलता की स्थिति में फर्मों को प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की दर से 05 वर्षों में कुल 15 प्रतिशत धनराशि कर भुगतान किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार फर्मो द्वारा वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत शत–प्रतिशत संयत्रों का त्रैमासिक भ्रमण करते हुए संयत्रों की कियाशीलता सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

फर्मो द्वारा संयत्रों की त्रैमासिक भ्रमण रिपोर्ट जनपदीय परियोजना कार्यालय में जमा करायी जाती है तथा वर्षवार वार्षिक अनुरक्षण बिल संबंधित परियोजना से सत्यापित कराते हुए भुगतान हेतु मुख्यालय प्रस्तुत किया जातां है। प्रायः यह देखा गया है कि फर्मो द्वारा वार्षिक अनुरक्षण अवधि में किये गये प्रत्येक त्रैमास की भ्रमण रिपोर्ट अभिकरण के RESIMS (Renewable Energy Solar Installation Monitoring Software) पर समय से अपलोड न कर पूरे वर्ष की एक साथ अपलोड करायी जाती है। फर्मो के ए0एम0सी0 के क्लेम प्रत्येक वर्ष न कर कई–कई वर्षो के क्लेम एक साथ भुगतान की संस्तुति के साथ प्राप्त होते हैं, जो उचित नहीं है।

उपरोक्त के कंम में निर्देशित किया जाता है कि संयत्रों की स्थापना उपरान्त उनकी कियाशीलता संबंधी त्रैमासिक भ्रमण रिपोर्ट नियत अवधि के 10 दिवस के अन्दर अभिकरण के RESIMS पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि संबंधित त्रैमास की भ्रमण रिपोर्ट इस अवधि के उपरान्त RESIMS पर अपलोड कराये जाने की स्थिति संज्ञानित होती है तो यह मानते हुए कि फर्म द्वारा उक्त त्रैमास में संयत्रों के मेन्टीनेन्स का कार्य नहीं कराया गया है, तद्नुसार संबंधित त्रैमास की ए0एम0सी0 के सापेक्ष भुगतान देय नहीं होगा।

(अनुपम शुक्ला)
निदेशक, यूपीनेडा।

1. समस्त अधिकारी, यूपीनेडा मुख्यालय।
2. समस्त जनपदीय वरि0परि0अधि0–।।/परियोजना अधिकारी/प्रभारी।
3. प्रभारी कम्प्यूटर को यूपीनेडा की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. समस्त आपूर्तिकर्ता फर्म।

(अनुपम शुक्ला)
निदेशक, यूपीनेडा।